

**समाहरणालय, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी**  
**जिला स्थापना शाखा**  
**आदेश**

वित्त विभागीय संकल्प संख्या-6068 दिनांक-13.06.2013 एवं परिपत्र संख्या-275 दिनांक-08.01.2015 में संसूचित प्रावधान के अनुसार दिनांक-14.03.2016 को हुई जिला स्क्रीनिंग समिति की बैठक तथा दिनांक-16.06.2016 को हुई जिला प्रोन्नति समिति की बैठक में लिए गये निर्णय के आलोक में समाहरणालय समवर्ग के निम्नांकित कर्मचारियों को कॉलम-4 में स्वीकृत रूपान्तरित वेतन उन्नयन को संशोधित करते हुए कॉलम-5 में अंकित तिथि एवं वेतनमान में प्रथम वेतन उन्नयन की स्वीकृति दी जाती है। कॉलम-4 में पूर्व से स्वीकृत रूपान्तरित वेतन उन्नयन के फलस्वरूप हुए अधिक भुगतान की वसूली एक मुश्त कर ली जायेगी।

क्र०	कर्मचारी का नाम/पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन	नियुक्ति तिथि	पूर्व में स्वीकृत एम०ए०सी०पी० एवं वेतनमान/तिथि	संशोधित वेतन उन्नयन की तिथि वेतनमान
1	2	3	4	5
1	श्री मणीभूषण कुमार, लिपिक, अंचल कार्यालय, कल्याणपुर।	05.05.1997	01.01.2009 जी०पी०-2800	05.05.2009 जी०पी०-4200 (12 वर्षों की सेवा पर)
2	श्री रजन कुमार, लिपिक, जिला उपभोक्ता फोरम।	20.09.1993	16.01.2010 जी०पी०-2800	16.01.2010 जी०पी०-4200
3	श्री अनील कुमार पाठक, लिपिक, जिला स्थापना शाखा।	08.10.1997	01.01.2009 जी०पी०-2800	08.10.2009 जी०पी०-4200
4	श्री राजीव रंजन, लिपिक, जिला कोषांगार कार्यालय, मोतिहारी।	20.05.1997	01.01.2009 जी०पी०-2800	20.05.2009 जी०पी०-4200
5	श्री सुधीर कुमार वर्मा, लिपिक, प्रखंड कार्यालय, मोतिहारी।	15.12.1989	17.01.2010 जी०पी०-2800	17.01.2010 जी०पी०-4200
6	श्री राजीव रंजन, लिपिक, प्रखंड कार्यालय, केसरिया।	02.05.1997	01.01.2009 जी०पी०-2800	02.05.2009 जी०पी०-4200
7	श्री बिनोद कुमार गिरी, राजस्व कर्मचारी, अंचल कार्यालय, पकड़ीदयाल।	01.04.1997	01.01.2009 जी०पी०-2800	01.04.2009 जी०पी०-4200
8	श्री कौशल किशोर प्रसाद, लिपिक, जिला गोपनीय शाखा।	26.01.1986	16.01.2010 जी०पी०-2800	16.01.2010 जी०पी०-4200
9	श्री नन्द किशोर श्रीवास्तव, लिपिक, सेवानिवृत्त, जिला उपभोक्ता फोरम।	11.04.1997	01.01.2009 जी०पी०-2800	11.04.2009 जी०पी०-4200
10	श्री रईस आजम, जनसेवक, प्रखंड कार्यालय, मधुबन।	03.05.1997	01.01.2009 जी०पी०-2800	03.05.2009 जी०पी०-4200

- भविष्य में किसी भी कर्मों के किसी प्रविष्टि के संबंध में कोई अन्यथा या प्रतिकूल तथ्य संज्ञान में आते हैं तो देय ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० वेतन उन्नयन आदेश में आवश्यक संशोधन करते हुए भुगतान की गई राशि की वसूली कर ली जायेगी।
- सभी कार्यालय प्रधान उन्नयन लाभ देने के पूर्व सेवापुस्त की जाँच कर लेंगे एवं प्रविष्टि के संबंध में कोई त्रुटि होने पर तत्क्षण इसकी सूचना जिला स्थापना उप समाहर्ता को देना सुनिश्चित करेंगे।
- ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० वेतन उन्नयन का लाभ देने के पूर्व संबंधित कार्यालय प्रधान संबंधित कर्मों से इस आशय का स्वशपथ (Under Taking) प्राप्त कर लेंगे, कि स्वीकृत वेतन उन्नयन में किसी तरह की त्रुटि होने या विभागीय स्तर से अन्यथा आदेश प्राप्त होने पर दी गई प्रोन्नति को संशोधित/रद्द कर दिया जाएगा एवं भुगतान की गई अधिक राशि को वापस कर दिया जायेगा।
- ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० वेतन उन्नयन में निर्धारित वेतन का सत्यापन जिला लेखा पदाधिकारी से प्राप्त करने के पश्चात् ही वेतन उन्नयन का लाभ भुगतान किया जायेगा।

5. वेतन उन्नयन प्राप्त कर्मी आदेश निर्गत की तिथि के एक माह के अंदर यह विकल्प दे सकते हैं कि वित्तीय उन्नयन की तिथि से वेतन निर्धारण का लाभ लेंगे या अगली वेतनवृद्धि की तिथि से। निर्धारित तिथि तक विकल्प नहीं देने की स्थिति में उन्नयन की तिथि से वेतन निर्धारण लाभ दिया जायेगा एवं उनका दावा मान्य नहीं होगा।
6. वेतन उन्नयन में वेतन निर्धारण नियम-22(I)A(I) के अनुसार किया जायेगा।

EO/—

जिला स्थापना उप समाहर्ता,  
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

ज्ञापांक 473/स्था0, मोतिहारी दिनांक 08/07/2016

- प्रतिलिपि:—सभी संबंधित कर्मियों को सूचनार्थ प्रेषित।  
प्रतिलिपि:—सभी संबंधित कार्यालय प्रधान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।  
प्रतिलिपि:—कोषागार पदाधिकारी, मोतिहारी एवं ढाका/जिला भविष्य निधि पदाधिकारी/जिला लेखा पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।  
प्रतिलिपि:—अपर समाहर्ता/उप विकास आयुक्त, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ प्रेषित।  
प्रतिलिपि:—आयुक्त के सचिव, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।  
प्रतिलिपि:—संयुक्त सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।  
प्रतिलिपि:—संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

EO/—  
8.7.16

जिला स्थापना उप समाहर्ता,  
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।